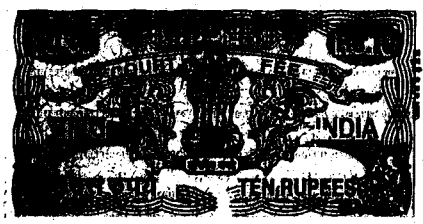
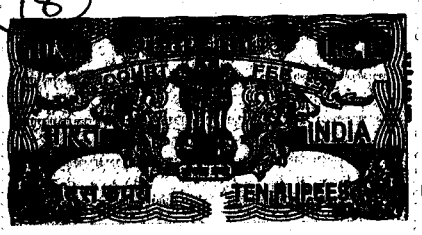
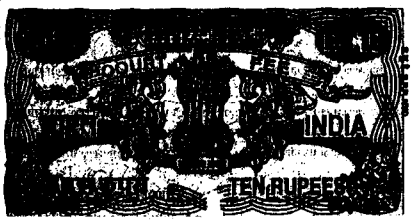

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 /2016–17 नि.माल

R 550-I-17

1. महिला रामश्री वेवा स्व. मन्नूलाल
2. रामदेवी पुत्री मन्नूलाल पत्नी वृजमोहन जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम अखदेवा तेहसील लहार जिला भिण्ड म0प्र0
3. विटटीदेवी पुत्री मन्नूलाल ब्राहम्मण निवासी विजपुर तेहसील लहार जिला भिण्ड म0प्र0 .....निगरानी कर्ता/आवेदकगण

बनाम

वालकराम पुत्र रामप्रकाश जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम वाउली तेहसील कोंच (डाकखाना - सजैरा-) जिला जालोन उ0प्र0

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि 6.3.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ़ कोर्ट 6.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

न्यायालय नायव तेहसीलदार लहार के प्र.क्र.10/14–15अ6 में पारित अंतरिम आदेश तारीखी 19.1.17 से व्यथित निगरानी कर्ता गण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि तहसील न्यायालय लहार में मिहोना तेहसील में पदस्थ रहे राजस्व निरीक्षक महोदय जो कुछ माह पहले ही नायव तेहसीलदार के रूप में लहार में पदस्थ हुये है उनके पूर्व से पदासीन नायव तेहसीलदार के न्यायालय में मृतक मन्नलाल निवासी ग्राम अखदेवा की मृत्यु उपरांत उनके प्राकृतिक वारिसान रामश्री (वेवा पत्नी रामादेवी व विटटी देवी पुत्रियां) की ओर से मृतक के वजाय नामान्तरण का आवेदन पेश किया था दूसरा आवेदन पत्र अपंजीकृत वसीयतनामा तारीखी 23.11.14 के आधार पर वालिकराम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 550–एक/17 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने। 2–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार लहार के प्र0 क0 10/अ–6/2014–15 में पारित अंतिरम आदेश दिनांक 19.1.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक बालिकराम दुबे पुत्र श्री रामप्रकाश दुबे निवासी ग्राम बावली तहसील कोंच जिला जालौन उ0प्र0 के द्वारा मौजा अखदेवा के खाता कमांक 129 पर मृतक मन्नूलाल दुबे के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी से मृतक वारिसान की जानकारी एवं इश्तहार जारी करने के आदेश दिये। आवेदिकागण द्वारा नायब तहसीलदार लहार के न्यायालय में मन्नूलाल निवासी ग्राम अखदेवा की मृत्यु	

उपरांत उनके वारिसान रामश्री बेवा मन्नूलाल, रामदेवी, विटट्री देवी पुत्रियां मन्नूलाल द्वारा नामांतरण का आवेदन अपने अधिवक्ता श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया एवं दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक बालिकराम दुबे के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.10.16 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की जिसे नायब तहसीलदार द्वारा यह कहते हुये आपत्ति खारिज कर दी कि प्रकरण के निराकरण से पूर्व उभयपक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। जिससे से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4—आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उभयपक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के वाद प्रकंरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बालिकराम की ओर से साक्ष्य समाप्त हो जाने के वाद भी उसके अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जा0 दी0 के साथ दिनांक 13.10.16 को पेश किये। उनके द्वरा अपने तर्क में कहा गया है कि दस्तावेज विलंब से प्रस्तुत ग्राह्य योग्य दस्तावेज नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5—अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी में उल्लेख तथ्यों का जबाव बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदनकगण ने अधिनस्थ न्यायालय में आदेश दिनांक 19.1.17 को पारित करते समय उनके अधिवक्ताओं के अनुपस्थित होने का व उनकी अनुपस्थिति दिनांक 19.1.17 को आदेश पारित करने का नितांत मिथ्या आरोप लगाया है जबकि आदेश दिनांक 19.1.17 पर जो आपत्ति निगरानीकर्ताओं ने दिनांक 24.1.17 को प्रस्तुत की हे उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 19.1.17 को आवेदकगण के अधिवक्ता उक्त दिनांक को उपस्थित थे, तथा पारित अंतिरिम आदेश का अध्ययन भी किया था। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदिकागण की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

6— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा जो आपत्ति निरस्त कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रकरण में निराकरण से पूर्व दिया गया है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः नायब तहसीलदार लहार के प्रकरण कमांक 10/अ—6/2014—15 में पारित अंतिरम आदेश दिनांक 19.1.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है, अभी

प्रकरण नायब तहसीलदार लहार के न्यायालय में संचालित है। वहां पर प्रकरण का गुण दोष पर निराकरण होना है। अतः आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य